

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या: 25639 / सात लाई-48 / आबकारी नीति-2025 / देहरादून: दिनांक: मार्च, 16, 2026

::सार्वजनिक विज्ञापित::

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-28, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सातलाई-48/व्यव/2026-27/2027-28/सातनिर्देश/व्यवस्थापन देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028) की अवधि हेतु अव्यवस्थापित/नवसृजित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक एवं अर्ह आवेदक निम्नांकित जनपदों में मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु निम्नवत निर्धारित तिथि, समय एवं प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक
1.	फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सांय 5 बजे तक
2.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 की अपराह्न 02.00 बजे तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दिवस
6.	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकान का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्त ऑफर को आबकारी आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु मदिरा दुकानें जिन पर लॉटरी (प्रथम एवं द्वितीय चरण), प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर उपर्युक्त उल्लिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
उत्तरकाशी	(1) विदेशी मदिरा दुकान आराकोट, (2) वि० म० हर्षिल/झाला (3) वि० म० सांकरी।
चम्पावत	(1) सीम चूका विदेशी मदिरा (नवसृजित) (2) बोटड़ी पनार विदेशी मदिरा (नवसृजित) (3) बालिक देशी (नवसृजित) (4) मंच देशी (नवसृजित)
उधमसिंहनगर	(1) देशी मदिरा दुकान सितारगंज चीनी मिल पीलीभीत रोड (2) दे०म०दु० मानपुर रोड (3) दे०म०दु० पूरनापुर-टेड़ाघाट (4) दे०म०दु० भगवन्तपुर अमानगढ़ रोड (5) दे०म०दु० अनाजमण्डी काशीपुर (6) दे०म०दु० धीमरखेड़ा (7) दे०म०दु० हल्दूआसाहू (8) दे०म०दु० मलसा गिरधरपुर रोड (नवसृजित) (9) दे०म०दु० जाफरपुर (नवसृजित) (10) दे०म०दु० चक्कीमोड़ (11) दे०म०दु० छिनकी किच्छा (नवसृजित) (12) दे०म०दु० बिन्दुखेड़ा रोड ग्राम दानपुर (नवसृजित) (13) दे०म०दु० पटिया कौंधा असरफ (14) दे०म०दु० बानूसी (नवसृजित) (15) दे०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (16) दे०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (17) दे०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (18) दे०म०दु० सकैनिया रोड (19) दे०म०दु० प्रतापपुर 17 मील रोड (नवसृजित) (20) दे०म०दु० पिपलिया (बाजपुर) (नवसृजित) (21) दे०म०दु० निकट कोसी काँटा बाजपुर (नवसृजित) (22) दे०म०दु० टुकड़ी बिछुवा रोड नगला (23) दे०म०दु० सुन्पहर (24) दे०म०दु० बगियाघाट (नवसृजित) (25) विदेशी मदिरा दुकान किच्छा रोड़ सितारगंज (नवसृजित) (26) वि०म०दु० टनकपुर रोड खटीमा (नवसृजित) (27) वि०म०दु० चैती चौराहा (नवसृजित) (28) वि०म०दु० रम्पुरा रूद्रपुर (नवसृजित) (29) वि०म०दु० सिसैया निकट नेशनल हाईवे सितारगंज (30) वि०म०दु० बाजुपर दौराहा (31) वि०म०दु० इन्द्रा कालोनी (नवसृजित) (32) वि०म०दु० ढकिया गुलाबो (नवसृजित) (33) वि०म०दु० रामराज रोड निकट मण्डी गेट बाजपुर (नवसृजित) (34) वि०म०दु० छोई रोड (35) वि०म०दु० धनौरी-कैलामोड़ रोड (36) वि०म०दु० सकैनिया रोड (नवसृजित) (37) वि०म०दु० धीमर खेड़ा (38) वि०म०दु० सुल्तानपुर पट्टी (39) वि०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (40) वि०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (41) वि०म०दु० नादेही (42) वि०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (43) वि०म०दु० सुन्पहर
अल्मोड़ा	(1) विदेशी मदिरा दुकान पनुवानोला (2) वि०म०दु० धौलछीना (3) वि०म०दु० जालली (4) वि०म०दु० क्वैरला (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० दौलाघट (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खेड़ा (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तिपोला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० पनार (नवसृजित) (10) देशी मदिरा दुकान सौराल (11) दे०म०दु० पातली (नवसृजित) (12) दे०म०दु० जालली (नवसृजित)

पिथौरागढ़	(1) विदेशी मदिरा दुकान डीडीहाट (2) वि०म०दु० मुनसारी (3) वि०म०दु० जौलजीवी (4) वि०म०दु० बुंगाछीना (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० मदकोट (7) वि०म०दु० देवलथल (8) वि०म०दु० डूनी/टिम्टा (नवसृजित) (9) वि०म०दु० खिरगाण्डे (नवसृजित) (10) वि०म०दु० खांकर (नवसृजित) (11) वि०म०दु० तवाघाट (नवसृजित) (12) देशी मदिरा दुकान जौलजीवी (13) दे०म०दु० धारचूला रोड पिथौरागढ़ (नवसृजित) (14) दे०म०दु० जाजरदेवल (नवसृजित) (15) दे०म०दु० बलुवाकोट (नवसृजित) (16) दे०म०दु० ओगला (नवसृजित) (17) दे०म०दु० सुवालेख (नवसृजित) (18) दे०म०दु० मुनस्यारी (नवसृजित) (19) दे०म०दु० बनकोट (नवसृजित) (20) दे०म०दु० उडियारीबैण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित) (21) दे०म०दु० तेजम (नवसृजित) (22) दे०म०दु० बांसवगड़ (नवसृजित)
पौड़ी गढ़वाल	(1) विदेशी मदिरा दुकान कोट (2) वि०म०दु० नैनीडांडा (3) वि०म०दु० पौखाल (4) वि०म०दु० व्यासघाट/सिल्सू तल्ला/उभरासूरोड (5) वि०म०दु० ढाबखाल (6) वि०म०दु० दुधारखाल (7) वि०म०दु० रामणी/भरतनगर उत्तिका (8) वि०म०दु० कसाणी
नैनीताल	(1) विदेशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (बजून से कालाढूंगी मार्ग) (नवसृजित) (2) वि०म०दु० काशीपुर रोड (रामनगर से काशीपुर मार्ग) (नवसृजित) (3) वि०म०दु० रामपुर रोड (पंचायत घर से गन्ना रोन्टर मार्ग) (नवसृजित) (4) वि०म०दु० मोहान रोड (ढिकुली से मोहान रोड) (नवसृजित) (5) वि०म०दु० रातीघाट (नैनीताल) (नवसृजित) (6) देशी मदिरा दुकान गौलापार से चौरगलिया रोड (नवसृजित) (7) देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (बजून से कालाढूंगी मार्ग) (नवसृजित) (8) देशी मदिरा दुकान मालधन रोड (निकट विदेशी मदिरा दुकान) (नवसृजित)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD), (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रु० 65,000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिन्न हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1 गांधी रोड देहरादून एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(प्रभाशंकर मिश्रा)

उप आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संख्या: 25640-44/सात लाई०-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के ब्यौरे सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द. पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 17.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(प्रभाशंकर मिश्रा)

उप आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।